

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज., जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/10/00

दिनांक: 2/12/2021

आदेश

श्री उदयवीर सिंह कसाना, एडवोकेट निवासी बजरंग विहार, कॉलोनी भरतपुर को नगर निगम, भरतपुर के विरुद्ध भरतपुर स्थित विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी कार्यरक्षण एवं पैरवी हेतु हेतु नियमानुसार 5000/- रुपये देय फीस पर विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 17209 दिनांक 24.11.2020 द्वारा नगर निगम भरतपुर में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त है।

अतः निर्देशानुसार इनके कार्यकाल की अवधि एक वर्ष तक नियमानुसार देय पारिश्रमिक फीस पर बढ़ायी जाती है। इनको भुगतान नगर निगम, भरतपुर से देय होगा।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/10/01 - 10/08 दिनांक: 2/12/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शारान सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय भरतपुर।
06. श्री उदयवीर सिंह कसाना, पैनल अधिवक्ता मार्फत नगर निगम भरतपुर।
07. प्रोग्रामर निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी